

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 598)

7 श्रावण 1935 (शO) पटना, सोमवार, 29 जुलाई 2013

> निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)

अधिसूचनाएं 26 जुलाई 2013

सं0 I/एम $^1-$ 180 / 2012-**1810**—रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निबंधन फीस तालिका के अधीन निम्नलिखित अनुच्छेदों के सामने अंकित फीस की नई दरें अधिसूचित करते हैं: -

अनुच्छेद	दस्तावेज / मद के प्रकार	फीस की दरें
संख्या		
A (1)	विक्रय-पत्र एवं बंधक-पत्र छोड़कर अनुसूची-A(1) में वर्णित	2%
	अन्य दस्तावेज	
A(3)(क)	लीज दस्तावेज जिनकी अवधि निम्नलिखित होः –	लीज दी गई सम्पत्ति के मूल्य के
	(i) एक वर्ष से कम;	2% पर A(1) की दर से
	(ii) एक वर्ष अथवा उससे अधिक परन्तु दस वर्ष से अधिक न	लीज दी गई सम्पत्ति के मूल्य के
	हो;	5% पर A(1) की दर से
	(iii) दस वर्ष से अधिक अवधि परन्तु तीस वर्ष से कम;	लीज दी गई सम्पत्ति के मूल्य के 15% पर $A(1)$ की दर से
	(iv) तीस वर्ष या तीस वर्ष से अधिक या शाश्वत या असीमीकृत;	लीज दी गई सम्पत्ति के मूल्य के 50% पर $A(1)$ की दर से
C(i)	खुली वसीयत या वसीयत का रद्दकरण या गोद लेने का प्राधिकार	क्त. 2000 / – (दो हजार रूपए)
DD	पार्टनरशिप	रू. 1000 / — (एक हजार रूपए)

अनुच्छेद	दस्तावेज/मद के प्रकार	फीस की दरें
संख्या	परतायण / गय य अयगर	प्राप्त प्रा प्र
E	(i) डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट—	
	(क) जब सम्पत्ति का बाजार मूल्य पाँच करोड़ तक का हो	रू. 20,000 / — (बीस हजार रूपए)
	(ख) जब सम्पत्ति का बाजार मूल्य पाँच करोड़ से अधिक	रू. 40,000 / — (चालीस हजार
	लेकिन दस करोड़ तक का हो	रूपए)
	(ग) जब सम्पत्ति का बाजार मूल्य दस करोड़ से अधिक लेकिन पच्चीस करोड़ तक का हो	रू. 60,000 / — (साठ हजार रूपए)
	(घ) जब सम्पत्ति का बाजार मूल्य पच्चीस करोड़ से अधिक का हो	रू. 1,00,000 /— (एक लाख रूपए)
	(ii) यदि परिवार के सदस्यों से इतर व्यक्ति को बिहार राज्य में अवस्थित भूमि/संपत्ति के विक्रय का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया हो (परिवार से अभिप्रेत है—पिता, माता, पत्नी या पति, पुत्र, पुत्री, भाई/बहन (निष्पादक के माता/पिता के बच्चे), पुत्रवधू, पौत्र, पौत्री (निष्पादक के पुत्र/पुत्री के बच्चे)	रू. 10,000 /— (दस हजार रूपए)
	(iii) उपरोक्त (i) एवं (ii) में वर्णित डेवलपमेंट एग्रीमेंट एवं पावर ऑफ अटॉर्नी को छोड़कर अन्य पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में तथा अनुच्छेद—'ई' के अधीन आने वाले अन्य दस्तावेजों में	क्त. 1000 / — (एक हजार रूपए)
F(1)	(i) प्रथम वर्ष के लिए खोज फीस प्रत्येक नाम के लिए	रू. 40 / —(चलीस रूपए)
	(ii) बाद के वर्षों के लिए प्रतिवर्ष खोज फीस	रू. 20 / — (बीस रूपए)
	(iii) पुस्त सं0—1,3,4 में किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि का निरीक्षण या किसी अन्य पुस्त या पंजी या दस्तावेज या संचिका के अभिलेख के एक वर्ष से संबंधित निरीक्षण,	रू. 30 / — (तीस रूपए)
	(iv) दस्तावेज या पेपर के निरीक्षण के लिए परन्तु, किसी एक कार्यालय में किसी एक नाम से संबंधित अनुक्रमणी के लिए खोज फीस रू. 500/— (पाँच सो रूपए) से अधिक नहीं होगी।	रू. 40 / — (चालीस रूपए)
I	,	रू. 5000 / —(पाँच हजार रूपए)
J(1)	निजी आवास पर जाकर दस्तावेजों के निबंधन हेतु स्वीकार करने या किसी वसीयत को जमा करने हेतु, धारा—31 के अधीन किसी अधिकारी की उपस्थिति के लिए	रू. 5,000 / —(पाँच हजार रूपए)
K(1)	(a) विधि द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त हर पर्दानशीन महिला के लिए	रू. 200 / —(दो सौ रूपए)
	(b) (1) शारीरिक शैथिल्य के चलते छूट प्राप्त हर व्यक्ति के लिए	रू. ४०० / —(चार सौ रूपए)
	(2) जेल में कैद हर व्यक्ति के लिए	रू. ४०० / –(चार सौ रूपए)
	(c) पर्दानशीन महिला के सिवाय विधि द्वारा न्यायालय में उपस्थिति से छूट प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए	रू. 1,000 / — (एक हजार रूपए)
0	निबंधन की तिथि से एक माह से ज्यादा अवधि पर निबंधित दस्तावेज की वापसी के लिए	रू. 100 / – (एक सौ रूपए) प्रति माह अधिकतम रू. 1000 / – (एक हजार रूपए)
P	अस्वीकृति की तिथि से एक माह से ज्यादा अवधि पर निबंधन के लिए अस्वीकृत दस्तावेज की वापसी के लिए	रू. 100 / — (एक सौ रूपए) प्रति माह अधिकतम रू. 1000 / — (एक हजार रूपए)

- (2) Article-G के Proviso (a) को विलोपित किया जाता है एवं Proviso (b) Proviso (a) के रूप में पढ़ा जायेगा।
- (3) Article-M (a), Article-N(a) एवं Article-N(b) को विलोपित किया जाता है।
- (4) विभाग द्वारा मूल्यानुसार फीस लिए जाने (ad-valorem) की स्थिति में जिन दस्तावेजों में मुद्रांक शुल्क बाजार मूल्य पर लिए जाने हैं, उनमें निबंधन फीस बाजार मूल्य पर देय होगा।
- (5) विभाग द्वारा निर्धारित बेवसाईट पर निबंधित दस्तावेजों से संबंधित ऑन लाईन खोज बिना फीस की होगी।
- (a) फीस तालिका की नई दरें अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संदीप पौण्डरीक, सरकार के सचिव।

26 जुलाई 2013

सं० I/η^{-1} 180/2012—**1810**—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संदीप पौण्डरीक, सरकार के सचिव।

The 26th July 2013

No. I/M¹- 180/2012-**1810**—In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908 the Governor of Bihar is pleased to notify the following new rates of fees for the under mentioned articles under Table of fees:—

Article	Types of Deed/Item	Rates of fee
No.		200
A (1)	Other deeds described in Article-A(1) except	2%
	Sale & Mortgage	
A(3)(a)	Lease documents, the period of which is	as the rate under A(1) on 2%
	(i) Less than one year	of the market value of the
		leased property.
	(ii) One year & above but the period is not	as the rate under A(1) on 5%
	more than 10 years	of the market value of the
		leased property.
	(iii) More than ten years but less than thirty	as the rate under A(1) on 15%
	years	of the market value of the
		leased property.
	(iv) Thirty years or more or perpetual or for an	as the rate under A(1) on 50%
	infinite period	of the market value of the
		leased property.
C(i)	Open will or cancellation of will or an authority	Rs. 2000/- (Rupees two
	to adopt	thousand)
DD	D . 1.	D 1000/ /D
DD	Partnership	Rs. 1000/- (Rupees one
		thousand)
E	(i) Development Agreement: -	
	(a) When market value of property is upto five	Rs. 20,000/- (Rupees twenty
	crores	thousand)
	(b) When market value of property is more	Rs. 40,000/- (Rupees forty
	than five crores but upto ten crores	thousand)
	(c) When market value of property is more	Rs. 60,000/- (Rupees sixty
	than ten crores but upto twenty five crores	thousand)

Article No.	Types of Deed/Item	Rates of fee
1100	(d) When market value of property is more than twenty five crores	Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh)
	(ii) If power of attorney is given for the purpose of selling land/property situated in the State of Bihar to the person other than family members (Family means Father, Mother, Wife or Husband, Son, Daughter, Brother/Sister (Children of executants parents), Daughter in law, Grandson, Granddaughter (Children of executants son/daughter).	Rs.10,000/- (Rupees ten thousand)
	(iii) Other deeds coming under article-E & in case of other power of attorney except power of attorney and development agreement mentioned above in (ii) & (i).	Rs. 1000/- (Rupees one thousand)
F(1)	(i) Searching fee of first year for every name	Rs. 40/- (Rupees forty)
	 (ii) Searching fee for subsequent year per year (iii) for inspection of copy of each document in register book 1, 3, 4 or for inspection of any other book or register or of a document or paper in a file relating to one year 	Rs. 20/- (Rupees twenty) Rs. 30/- (Rupees thirty)
	(iv) for inspection of the document or paper Provided that no fee for the searching of the indexes of any one office in respect of any one name shall exceed Rupees 500/-(Rupees five hundred).	Rs. 40/- (Rupees forty)
I	an extra fee for registering in delegated or original capacity by District-Sub-Registrar of any document of sub ordinate offices jurisdiction	Rs. 5000/- (Rupees five thousand)
J(1)	The fee for attendance under section-31 of an officer at private residence for acceptance for registration or for deposit of any will	Rs. 5,000/- (Rupees five thousand)
K(1)	(a) for every pardanashin lady exempted by law from personal appearance	Rs. 200/- (Rupees two hundred)
	(b) (1) for every person exempted on account of bodily infirmity	Rs. 400/- (Rupees four hundred)
	(2) for every person confined in jail	Rs. 400/- (Rupees four hundred)
	(c) for every person other than a paradanashin lady who is exempted by law from personal appearance in Court	Rs. 1,000/- (Rupees one thousand)

Article	Types of Deed/Item	Rates of fee
No.		
0	for the return of registered document after the	Rs. 100/- (Rupees one
	period of more than one month from the date of	hundred) per month,
	registration	Maximum Rs. 1000/- (Rupees
		one thousand)
P	for the return of refused document for	Rs. 100/- (Rupees one
	registration after the period of more than one	hundred) per month,
	month from the date of refusal	Maximum Rs. 1000/- (Rupees
		one thousand)

- (2) Proviso (a) of Article-G is deleted and Proviso (b) will be read as Proviso (a).
- (3) Article-M(a), Article-N(a) and Article-N(b) is deleted.
- (4) In case of charging ad-valorem fee by the department registration fee shall be payable on market value on the deeds in which stamp duty is to be charged on market value.
- (5) Online searching relating to registered documents on the departmental website shall be free.
- (6) New rates of Table of fees shall be effective from the date of notification.

By order of the Governor of Bihar,

SANDEEP POUNDRIK,

Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 598-571+500-डी०टी०पी०।

Website: http://egazette.bih.nic.in